



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यो का मंत्रालय

वित्तीय प्रणालियां



राष्ट्रीय जन सहयोग एवं
बाल विकास संस्थान

इस पत्रिका में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी गई है:

- आय
- व्यय
- बचत
 - बचत के लाभ
 - बैंक में निवेश करना
 - डाक घर में निवेश करना
- प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई)
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)
- ऋण

वित्तीय प्रणालियों का परिचय

वित्तीय प्रणाली आर्थिक संरचना के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांख्यिक और कार्यात्मक माध्यम है। यह वित्तीय संसाधनों के आवंटन के मामले में अतीत वर्तमान और भविष्य के बीच अंतर को कम करने में सहायता करती है और

यह निधियों, आय के दक्ष आवंटन को सुविधाजनक बनाती है, जिससे अर्थव्यवस्था के निधि प्रवाह में सहायता मिलती है।

आय

- आय किसी रोजगार या उद्यम के माध्यम से एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा एकत्रित की जाने वाली कमाई है जिसे आम तौर पर मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।
- तथापि, परिवारों तथा व्यक्तियों के लिए "आय एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त की गई समस्त मजदूरियों, वेतन, लाभ, ब्याज, किराए तथा अन्य प्रकार के अर्जनों का जोड़ है।"
- बजट व्यवस्था आय के इष्टतम उपयोग तथा व्यय और बचत की आयोजना के लिए महत्वपूर्ण है।

व्यय

- किसी बीज के मूल्य के बदले मुगतान की गई अथवा प्रेषित की गई अथवा प्रेषित की गई लागत को व्यय कहा जाता है।
- यह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को किसी वस्तु या सेवा अथवा किसी श्रेणी की लागत के लिए मुगतान की गई धनराशि है।
- व्यय में नकद किया गया मुगतान (जैसे कि किराया या बिल), किसी परिसम्पत्ति का परिकल्पित समाप्त भाग (मूल्यहास) अथवा अर्जित आय से निकाली गई राशि (जैसे अशोध्य ऋण, अलाभकारी निवेश) शामिल हो सकती है।

बचत

- बचत धन का संरक्षण है। बचत की विधियों में धन को अलग करके किसी बैंक या पेंशन योजना में रखना या लगाना शामिल है। बचत में व्यय जैसे आवर्ती लागतें कम करना भी शामिल है।
- बचत सामान्यतः हस्तगत नकदी के रूप में, बचत खाते में अथवा कुछ अत्यधिक तरल नकदी (तथा सुरक्षित) लिखतों जैसे सरकार द्वारा निर्गत राजकोषीय ङुंडियों के रूप में अपनी कमाई के एक भाग को अलग रखने की सरल प्रक्रिया है।
- बचत निम्न के लिए सहायक है:
 - परिवार की विभिन्न आवश्यकताएं पूरी करने के लिए
 - आपात स्थितियों का सामना करने के लिए

- वृद्धावस्था में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
- रहन सहन का अच्छा स्तर बनाए रखने के लिए

निवेश

- निवेश ब्याज, आय या प्रतिफल (वृद्धि) के रूप में लाभप्रद प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय लिखतों या अन्य परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए धन की वचनबद्धता है।



बैंक में निवेश करना

- धन रखने का सुरक्षित माध्यम धन को बैंक में रखना है। बैंक धन को सुरक्षित ही नहीं रखता बल्कि उस धन तक हमारी पहुँच को भी आसान बनाता है।
- खाता खोलने के लिए निम्न दस्तावेज अपेक्षित होते हैं:
 - पहचान का वैध प्रमाण
 - पते का प्रमाण
 - पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ
- क्रेडिट कार्ड भी बहुत अधिक नकदी साथ में लिए बिना खर्च करने का सरल तरीका है। क्रेडिट कार्ड द्वारा हम पहले धनराशि खर्च कर सकते हैं तथा बिल का मुगतान बाद में कर सकते हैं।
- इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने बैंकिंग को सुगम बना दिया है। इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन अंतरण तथा मुगतान ने बैंकिंग को सहज और सुगम्य बना दिया है।

बैंक खातों के प्रकार

- चातू जमा खाते
- बचत खाते
- जमा खाते
- आवर्ती जमा खाते
- सावधि-जमा खाते
- लोन भविष्य निधि खाता / लोक भविष्य खाता

डाकघर में निवेश करना

- डाकघर बचत बैंक देश में सबसे पुरानी और कुल मिलाकर सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली है, जो शहरी और ग्रामीण, दोनों प्रकार के ग्राहकों की निवेश आवश्यकता को पूरा करती है।
- डाकघर लघु बचत योजनाएं छोटे निवेशकों के लिए एक सुरक्षित, जोखिम मुक्त और आकर्षक निवेश विकल्प उपलब्ध कराती हैं तथा अपने 1,55,000 डाकघरों के माध्यम से बचत उत्पादों को उपलब्ध कराती हैं।
- डाक घर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सेवाओं में बचत तथा डाक जीवन बीमा (पीएलआई) / ग्रामीण डाक बचत बीमा (आरपीएलआई) शामिल हैं।

डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं

बचत बैंक खाता (एस बी)	• नियमित जमा और आहरणों (पैसा निकालने) की आवश्यकता को पूरा करता है।
आवर्ती जमा खाता (आरडी)	• अच्छे प्रतिफल के साथ मासिक निवेश विकल्प की पेशकश करता है।
मासिक आय योजना (एमआईएम)	• मासिक ब्याज भुगतान की प्राप्ति के साथ पांच वर्ष के लिए नियत विवेश विकल्प की पेशकश करती है।
लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)	• आयकर छूट सहित 15 वर्षिय अवधि के लिए कतिपय सीमाओं के अध्येधीन मध्यवर्ती जमाओं की पेशकश करती है।
मियादी जमा (टीडी)	• एक, दो, तीन से पांच वर्ष की अवधियों के लिए नियत जमा विकल्प जिसमें बक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक ब्याज के आहरण की सुविधा है।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एमसीएमएस)

- इसमें वरिष्ठ नागरिकों हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए उच्चतर ब्याज दर पर नियत निवेश विकल्प की पेशकश की जाती है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (एनएससी) (आठवां) निर्गम

- विभिन्न मूल्य वर्गों के प्रमाण पत्रों में 5 वर्ष के लिए नियत निवेश

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (नौवां) निर्गम

- 10 वर्ष की नियत निवेश अवधि

प्रधानमंत्री जनधन योजना

वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम दिया गया है, का उद्देश्य सर्वाधिक गरीब लोगों को बैंक खातों के साथ जोड़ना है। योजना की विशिष्ट विशेषताएं निम्नानुसार हैं: –

- देश भर में सभी परिवारों – शहरी और ग्रामीण दोनों – को योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना है। 15 करोड़ निर्धन लोगों के लिए बैंक खाते खोले जाएंगे।
- योजना के अंतर्गत खोले गए सभी बैंक खातों में आधार संबद्ध खातों के लिए खाते के 6 माह तक संतोषप्रद प्रचालन के पश्चात 5000/- रूपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा होगी।
- रु पेय डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें हाउसिंग डेवलपमेंट फाईनेंस कापरेशन (एचडीएफसी) अर्गों द्वारा प्राप्त एक लाख रूपए की अंतर्हित वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 30,000/- रूपए की जीवन सुरक्षा होगी।
- जो खाता धारकों और बैंक के बीच अंतिम कड़ी उपलब्ध कराएंगे उन व्यवसाय संवाददाताओं को 5000/- रूपए का न्यूनतम मासिक पाश्चिमिक मिलेगा।

किसान क्रेडिट कार्ड

- किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत वर्ष 1998-99 में भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा की गई थी।
- किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषक बैंक ऋण स्कीमिंग प्रक्रियाओं से गुजरे बिना, जिसमें बहुत समय लगता है, नकद ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। किसी मौसम में यदि किसान की फसल खराब हो जाए तो ऋण के भुगतान को किसी और समय के लिए परिवर्तित किया जा सकता है और इस अवधि को केवल चार वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह कार्ड तीन वर्ष के लिए वैध है तथा इसका नवीकरण वार्षिक रूप से कराना अपेक्षित है।

- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार रु पेय जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा शुरू की गई एक नवीन कार्ड भुगतान योजना है, ने रु पेय किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड और रु पेय दोनों के लाभ सन्निहित हैं।

रु पेय किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ

वीजा और मास्टर कार्ड नेटवर्कों से भिन्न, रु पेय प्रविष्ट शुल्क प्रसारित नहीं करता।

रु पेय एकल तथा दोहरी दोनों प्रकार की संदेश प्रणालियों को समभालने के लिए पूर्णतया सुसज्जित है।

रु पेय एक पिन आधारित उत्पाद है अतः यह ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है।

इसकी संरचना पूर्णतया वेब आधारित है अतः सदस्य बैंकों को एक पृथक फाईल आधारित इंटरफेस विकसित नहीं करना पड़ेगा।

रु पेय में प्रगत विशेषताएं सन्निहित हैं जैसे एसएमएस मंच पर भी टिप और अधिभार प्रोसेसिंग समर्थकारी बनाने के लिए समायोजन फाईल की प्रोसेसिंग।

प्रशासन लागतें और तिमाही प्रसार वर्तमान अंतरराष्ट्रीय योजनाओं की तुलना में अति निम्न हैं।

सामान्य किसान क्रेडिट कार्ड से भिन्न, जो मात्र पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है तथा निरंतर आधार पर लेन देनों की रिकार्डिंग को सुविधाजनक बनाता है, रु पेय किसान क्रेडिट कार्ड वस्तुतः एक स्मार्ट कार्ड है जिसका प्रयोग नकदी का आहरण करने के लिए नजदीकी एटीएम/पाइंट ऑफ सेल में किया जा सकता है। इसमें खाता प्रचालित करने के लिए बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

ऋण

- ऋण उधार ली गई धनराशि है जिसका भुगतान भविष्य में ब्याज सहित किया जाता है।
- ऋण के लिए आवेदन के समय बैंक यह जानना चाहते हैं कि उधारकर्ता वित्तीय रूप से कितना सुदृढ़ है।
- ऋण पात्रता का निर्णय करने हेतु कुछ विचारणीय मुद्दें हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है।

ऋण पात्रता



- अनेक प्रकार के ऋण उपलब्ध हैं। ये गृह ऋण, गृह सुधार ऋण, कार ऋण, दुपहिया ऋण, शिक्षा ऋण, विवाह ऋण, व्यवसाय ऋण, प्रतिभूति के एवज में ऋण, वैयक्तिक ऋण तथा अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ऋण हैं।
- ब्याज का परिकलन दैनिक, मासिक, तिमाही या वार्षिक आधार पर किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक अवधि के अंत में बकाया मूल ऋण के हिसाब से ब्याज दर का परिकलन किया जाता है।
- प्रतिभूतियों या किसी अन्य मूल्यवान परिसम्पत्ति के एवज में भी ऋण लिया जा सकता है जिसे बैंक स्वीकार करने को तैयार हो।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम उधार देने की योजनाओं नामतः सावधि ऋण योजना और लघु वित्तपोषण योजना के तहत ऋण प्रदान करता है।

ब्याज दर

- ब्याज दर ऋण करार पर निर्भर करती है। ब्याज दर नियत या फ्लोटिंग/परिवर्ती हो सकती है जो इस बात पर निर्भर है कि ऋण लेते समय किस विकल्प को चुना गया था।
- ब्याज दरें और प्रक्रिया विधि – बैंक विशिष्ट होती हैं।

प्रशिक्षक शामिल किए गए विषयों, संबंधित गतिविधियों और अनुलग्नकों के लिए प्रशिक्षण माड्यूल में चौथा दिन सत्र 4 का संदर्भ ले सकते हैं।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्यो का मंत्रालय
11 वीं मंजिल, पर्यावरण भवन
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली 110016



राष्ट्रीय जन सहयोग
एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड)
5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज खास
नई दिल्ली-110016